जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक/जीविवि/स्ट्राँग/गोप./2016/114 दिनांक 12.2.16

//सूचना//

समस्त परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि अनुसचित साधन के प्रकरण को सही तरीके से न भेजे जाने से मूल्यांकन मे होने वाले बिलम्व और कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्राध्यक्ष को निम्न निर्देशो का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाना हैः-

1. अनुचित साधन प्रकरण के पैकेट पर बड़े अक्षरों में नकल प्रकरण लिखा होना चाहिये।
2. अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियो की प्रथम और द्वितीय उत्तर पुस्तिका को टैग (धागे) से नत्थी कर एक साथ भेजी जानी चाहिये।
3. अनुचित साधन प्रकरण का प्रपत्र के सभी कॉलम स्पष्टतः भरे हुए तथा विधिवत हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
4. परीक्षार्थी से प्राप्त नकल सामग्री पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक एवं केन्द्राध्यक्ष की सील अवश्य लगाई जावे।
5. अनुचित साधन प्रकरण वाले प्रश्न-पत्र की प्रति सहित कक्षा तथा विषय के अनुसार पृथक-पृथक बंडल/पैकेट बनाए जाने चाहिये।
6. सामूहिक नकल वाले प्रकरणों के बंडल/पैकेट पर स्पष्टतः बड़े अक्षरो में ''सामूहिक नकल'' लिखा जाना आवश्यक है।
7. सामान्य परीक्षा के बण्डलों तथा अनुचित साधन प्रकरण के नकल प्रकरण बंडलो को एक मे न रखते हुये अलग-अलग ,भेजना चाहिये।

अतः समस्त परीक्षा केन्द्राध्यक्ष उपरोक्त बिन्दुओ का पालन कर परीक्षा कार्य मे सहयोग प्रदान करे।

11.2.16

परीक्षा नियंत्रक

11/2/16